fcgkj ljdkj

foÙk foHkkx

fo"k;%& jkT; ljdkj ds lsoh oxZ dks Lohd`r fd;s tkus cky eksVjdkj vfxze dh jkf'k dh vf/klhek में vfHkko`f) rFkk dEI;wVj vfxze dh ik=rk lhek esa la'kks/ku A

राज्य सरकार के सेवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं0–290 वि0(अ0) दिनांक–22.01.2002 संकल्प सं0– 809 वि0(अ0) दिनांक–22.05.2006 तथा संकल्प सं0–849 वि0 (अ0) दिनांक–06.06.2007 द्धारा प्रावधान किया गया है । वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी सेवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा में संषोधन किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्धारा संम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त निर्गत संकल्पों में निम्नरूपेण संषोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है

<u>¼d½ eksVj dkj vfxze%&</u>

(i)वित्त विभाग के संकल्प सं0–849 दिनांक–06.06.2007 की कंडिका –क में वर्णित प्रथम अग्रिम की अधिकतम सीमा 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपये के स्थान पर 5,00,000/–(पॉच लाख) रूपये तथा संकल्प संख्या–290 दिनांक 22.01.2002 की कंडिका 2(ख)में वर्णित द्वितीय (अनुवर्ती) अग्रिम 1,60,000/–(एक लाख साठ हजार)रूपये के स्थान पर 4,00,000/–(चार लाख) रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या –809 दिनांक 22.05.2006 के कंडिका –(ख) में वर्णित प्रथम अग्रिम एवं द्वितीय अग्रिम के लिए आठ माह का मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के स्थान पर " 20 ekg dk ewy osru ,oa egaxkbZ osru nksuksa feykdj " प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्पों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ख)कम्प्युटर अग्रिम :–

(i) वित्त विभाग के संकल्प सं0–1624 दिनांक 29.08.2002 के कंडिका–2(क) में वर्णित 10,500/–रूपये तथा इससे अधिक मूल वेतन के स्थान पर 3050/–रूपये तथा इससे अधिक मूल वेतन इसे सरकारी सेवकों को कम्प्यूटर अग्रिम प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र धोषित किया जाता है ।

(ii) इसी संकल्प की कंडिका 4 में वर्णित अग्रिम पर 12.5 प्रतिषत साधारण ब्याज के स्थान पर 5 प्रतिषत साधारण ब्याज' प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्प की शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

(ग)उल्लिखित अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेष निर्गमन की तिथि से लागू होगी ।

आदेषः—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाषन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

(अरूनीष चावला)

विषेष सचिव सह अपर आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक—प्र010ए0/अग्रिम (वि0)—01/2007 वि0,(अ0) पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले0एवं हक), बिहार एवं झारखण्ड, रॉची तथा पटना को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूनीष चावला)

विषेष सचिव सह अपर आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक—प्र010ए0/अग्रिम (वि0)—01/2007 वि0,(अ0) पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूनीष चावला)

विषेष सचिव सह अपर आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक—प्र010ए0/अग्रिम (वि0)—01/2007 वि0,(अ0) पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डल आयुक्त/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना /राज्यपाल के सचिव /सचिव, बिहार, विधान सभा एवं परिपष, पटना/ सभी समाहर्त्तो /सभी आरक्षी अधीक्षक तथा उप—सचिव, वित्त विभाग(स्था) को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूनीष चावला)

विषेष सचिव सह अपर आयुक्त (संसाधन)

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषयः- राज्य सरकार के सेवी वर्ग को स्वीकृत किये जाने वाले मोटरकार अग्रिम की राशि की अधिसीमा में अभिवृद्धि तथा कम्प्यूटर अग्रिम की पात्रता सीमा में संशोधन ।

राज्य सरकार के सेवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं0- 290 वि0(अ0) दिनांक 22.01.2002, संकल्प सं0- 809 वि0(अ0) दिनांक 22.05.2006 तथा संकल्प सं0- 849 वि0(अ0) दिनांक 06.06.2007 द्वारा प्रावधान किया गया है । वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी सेवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम की अधिसीमा बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर तथा संकल्प संख्या- 1624 वि0(अ0) दिनांक 29.08.2002 में प्रावधानित कम्प्यूटर अग्रिम हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त निर्गत संकल्पों में निम्नरूपेण संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) मोटर कार अग्रिम :-

(i) वित्त विभाग के संकल्प सं0- 849 दिनांक 06.06.2007 की कंडिका-क में वर्णित प्रथम अग्रिम की अधिकतम सीमा 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपये के स्थान पर 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये तथा संकल्प संख्या-290 दिनांक 22.01.2002 की कंडिका 2(ख) में वर्णित द्वितीय (अनुवर्ती) अग्रिम 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रूपये के स्थान पर 4,00,000/- (चार लाख) रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-809 दिनांक 22.05.2006 के कंडिका-(ख) में वर्णित प्रथम अग्रिम एवं द्वितीय अग्रिम के लिए आठ माह का मूल वेतन एवं महगाई वेतन के स्थान पर "20 माह के मूलवेतन एवं महगाई वेतन दोनों मिलाकर" प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्पों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ख) कम्प्यूटर अग्रिम :-

(i) वित्त विभाग के संकल्प सं0-1624 दिनांक 29.08.2002 के कंडिका-2(क) में वर्णित 10,500/- रूपये तथा इससे अधिक मूल वेतन के स्थान पर 3050/- रूपये तथा इससे अधिक मूलवेतन वाले सरकारी सेवकों को कम्प्यूटर अग्रिम प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र घोषित किया जाता है ।

(ii) इसी संकल्प की कंडिका 4 में वर्णित अग्रिम पर 12.5 प्रतिशत साधारण ब्याज के स्थान पर '8 प्रतिशत साधारण ब्याज' प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्प की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ग) उल्लिखित अग्रिम संबंधी सुविधाएं एवं प्रावधान आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार ... असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरूनीश चावला)
विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

ज्ञापांक- प्र010ए0/अग्रिम(वि0)-01/2007/ /वि0 (अ0) पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूनीश चावला)
विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

ज्ञापांक- प्र010ए0/अग्रिम(वि0)-01/2007/ 1497 /वि0 (अ0) पटना, दिनांक- 15.11.2007
प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/11/07

(अरूनीश चावला)
विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) ।

15.11.07